न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

ील संख्या 24/2020, जी.सी.एम.एस. नं. 2020/00056

1. बजरंगा पुत्र कुन्जा
2. बाबू पुत्र कुन्जा
3. मुरारी पुत्र बजरंगा
4. राधेश्याम पुत्र बजरंगा
5. हरबाई पत्नी पप्पू
6. रामबाई पत्नी मोहनलाल

समस्त जातियान बैरवा निवासीयान पनियाला तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।

अपी0

बनाम

1. गंगाधर पुत्र कुन्जा
2. सोन्या पुत्र कुन्जा
3. मोहन पुत्र कुन्जा
4. माया पत्नी मुरारी
5. इन्द्रा पत्नी राधेश्याम

समस्त जातियान बैरवा निवासीयान पनियाला तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।

6. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा मलारना डूंगर
7. तहसीलदार मलारना डूंगर।

23.9.21

रेस्पो0

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर मु0न0 48/2018 निर्णय दिनांक 05.12.2019)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांट की ओर से श्री राधेश्याम बैरवा
2. रेस्पो0 की ओर से श्री राकेश कुमार सैनी एवं नन्दलाल मीणा

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:57:27 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 29.03.2021

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम 1955) के तहत मु0न0 48/2018 निर्णय दिनांक 05.12.2019 न्यायालय उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य

Scanned with CamScanner

संक्षेप में इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में सायलान/रेस्पों. की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट का इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आराजी खाता सं. 39 ख.नं. 177 रकबा 0.0200 है0, ख.नं. 487 रकबा 0.1400 है0, ख.नं. 493 रकबा 0.8600 है0 है जो सायलान व गैरसायलान 1 ल0 4 के संयुक्त खातेदारी की आराजी है जिसमें सायलान का 1/5 हिस्सा है जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त विवादित आराजी को सायलान व गैरसायलान सं. 1 ल0 4 अपने-अपने हिस्से पर काश्त करते चले आ रहे है और फसल लाभ ले रहे है। दिनांक 07.07.2018 को सायलान अपने हिस्से की आराजी ख.नं. 493 रकबा 0.8600 है0 पर फसल काश्त कर रहा था तो गैरसायलान सं. 1 ल0 10 व उनके परिवार वाले सभी लोग मौके पर लाठी डण्डे लेकर आ गये और फसल को पलट दिया और सायलान के हिस्से 1/5 पर काश्त में माने मजाहमत करने व भविष्य में काश्त नहीं करने की ऐलानियां धमकी दी। सायलान ने तहसील कार्यालय चलकर खाते छटंवाने की बात कही तो गैरसायलान ने साफ इन्कार कर दिया व मारपीट पर आमदा हो गये तथा जान से मारने की धमकी दी। इसकी रिपोर्ट थाना मलारना डूंगर में दर्ज करवाई गई। अतः प्रार्थना पत्र अंस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त विवादित आराजी पर गैरसायलान सं. 1 ल0 10 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि सायलान के 1/5 हिस्से के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न न तो स्वंय करे ना ही किसी अन्य से करावें। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही गयी। सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से अपी0/गैरसायलान के विरूद्व निर्णय पारित किये जाने से व्यथित होकर अपी0/गैरसायलान द्वारा अपील पेश की गयी है।

2. अपील पेश होन पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पों0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया है कि फैसला अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.12.2019 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व रिकार्ड के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य [illegible]धीन भूमि ख.नं. 177 रकबा 0.0200, ख.नं. 487 रकबा 0.1400 [illegible] 493 रकबा [illegible]00 है0 कुल रकबा 1.0200 ग्राम पनियाला तहसील मलारना [illegible] में [illegible] संयुक्त खातेदारी की भूमि है जो गंगाधर पुत्र कुन्जा 1/5 भाग सौन्या, मोहन पुत्रान कु[illegible] 2/5 विलारहन बजरंगा पुत्र कुन्जा 1/5 राहिन सवाई माधोपुर सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा मलारना डूंगर मुर्तहीन बाबू पुत्र कुन्जा हिस्सा 1/5 राहिन बैंक ऑफ बडौदा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसका विधिवत राजस्व रिकॉर्ड में तकासमा नहीं हुआ है। उक्त भूमि मौखिक बंटवारे के

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:57:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अनुसार अपी0 के हिस्से में आयी है। इसके उपरान्त भी उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होते हुऐ भी अपी0 को पाबन्द करने का आदेश अधिनस्थ न्यायालय ने अवैधानिक रूप से पारित किया है जो निरस्तनीय है क्योंकि सहखातेदार को पाबन्द किया जाना कानूनन रूप से अवैधानिक है। सम्पूर्ण अपीलाधीन भूमि पर अपी0 का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलाधीन भूमि मौखिक बंटवारे में अपी0 को प्राप्त हुई है तथा अपी0 ने उक्त अपीलाधीन भूमि के बदले में अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि में खाता संख्या 4 ख.नं. 188 रकबा 1.3500 है0 रेस्पों. सं. 1 को दे दी थी जिसे रेस्पों. सं. 1 काश्त कर रहा है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पों. सं. 1 ने इस तथ्य को छिपाया है तथा उक्त एकपक्षीय निर्णय चुपचाप अधिनस्थ न्यायालय से मिलकर पारित करा लिया जो विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपी0 के एडवोकेट ने उक्त प्रकरण के बारे में अपी0 को कोई जानकारी नहीं दी। दिनांक 14.06.2020 को रेस्पों. सं. 1 अपी0 की अपीलाधीन भूमि की जुताई करने गया तो अपी0 मुरारी ने उक्त भूमि को जोतने से मना किया तो रेस्पों. सं. 1 ने न्यायालय का स्थगन आदेश बताया। इसके उपरान्त अपी0 मुरारी दिनांक 15.06.2020 को अपने एडवोकेट के पास उक्त प्रकरण की जानकारी करने गया तो उक्त स्थगन आदेश की जानकारी हुई तब उसी समय अपी0 मुरारी ने नकल हेतु आवेदन कर आदेश की नकल प्राप्त की। इससे पूर्व अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं थी। अपी0 द्वारा अपील पेश करने तक का समय क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा परिसीमन अधिनियम 1963 स्वीकार फरमाया जावें। इस प्रकार उक्त निर्णय का ज्ञान अपीलार्थी को हो सका। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावें।

29.3.21

4. विद्वान रेस्पों0 के अभिभाषक ने उपरोक्त तर्कों का प्रतिरोध करते हुए अपील बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि आराजी खाता सं. 39 ख.नं. 177 रकबा 0.0200 है0, ख.नं. 487 रकबा 0.1400 है0, ख.नं. 493 रकबा 0.8600 है0 है जो अपी0 व रेस्पों. के संयुक्त खातेदारी की आराजी है जिसमें रेस्पों. सं. 1 का 1/5 हिस्सा है जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है उक्त विवादित आराजी को अपी0 व रेस्पों. अपने–अपने हिस्से पर काश्त करते चले आ रहे है और फसल लाभ ले रहे है। दिनांक [illegible]8 को रेस्पों. सं. 1 अपने हिस्से की आराजी ख.नं. 493 रकबा 0.8600 है0 पर फसल [illegible] कर रहा था तो अपी0 व उनके परिवार वाले सभी लोग मौके पर लाठी डण्डे लेकर आ गये और फसल को पलट दिया और रेस्पों. सं. के हिस्से 1/5 पर काश्त में माने मजाहमत करने व भविष्य में काश्त नहीं करने की धमकी दी। रेस्पों. सं. 1 ने तहसील कार्यालय चलकर खाते छटवाने की बात कही तो अपी0 ने साफ इन्कार कर दिया व मारपीट पर आमदा हो गये तथा जान से मारने की धमकी दी। इसकी रिपोर्ट थाना मलारना डूंगर में दर्ज करवाई गई। अधिनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:57:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो का विधि पूर्वक अध्यनन एवं मनन कर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अपी0 को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी होते हुए भी जानबूझ कर अपील देरी से पेश की है। परिसीमन अधिनियम की धारा–5 के बारे में कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम 1963 खारिज फरमाया जावे। अतः अपी0 की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया।

6. प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 परिसीमन अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

7. विवादित आराजी सहखातेदारी की आराजी है। अपी0 द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि रेस्पों. किस हैसियत से सहकाश्तकार है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पों. के हिस्से को संरक्षित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पूर्ण विवेचन व विश्लेषण के पश्चात किया गया है इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील खारिज योग्य है।

8. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर के मु0नं0 48/2018 निर्णय दिनांक 05.12.2019 को यथावत रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 29.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:57:27 IST
Reason: SelfAttested

29.9.21

(बी0एल0रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner